UPPB010030032024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारी–रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

सत्र वाद संख्या–577/2024

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष

बनाम

देव नरायन पुत्र विजय पाल, निवासी ग्राम–गौहनिया, थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत।

...........अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–807/2007,
धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित–29.05.2007 **प्रदर्श क**–1, पर तत्कालीन विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत पर मुकदमा अपराध संख्या–807/2007, दिनांकित–14.09.2007 अन्तर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, वर्तमान अभियुक्त देव नरायन के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर घटना झूठी पाये जाने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट संख्या–46/2007, दिनांकित–15.09.2007 न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा पुलिस थाना–बिलसण्डा द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन मय शपथ–पत्र तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–1, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2008 को स्वीकार करते हुए वर्तमान अभियुक्त देव नरायन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञान लिया गया तथा अंतिम रिपोर्ट को निरस्त किया गया। तद्पोरान्त यह मामला संस्थित हुआ। मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण, तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0, पीलीभीत के द्वारा अभियुक्त की पत्रावली दिनांक–06.05.2024 को इस न्यायालय को सुपुर्द की गई।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा–228–ए के अंतर्गत कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति/महिला की पहचान छुपाने के उद्देश्य से, मामले की पीड़िता को उसके मूल नाम के

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.18 17:17:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्थान पर 'पीड़िता' कहकर सम्बोधित किया जायेगा।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर दिनांकित–29.05.2007, में कथन किया गया है कि उसके घर में देव नरायन कोटेदार का काफी समय से आना–जाना है। करीब 20–22 दिन पहले शाम के करीब 8:00 बजे की बात है वह घर में अकेली थी, तभी देव नरायन कोटेदार घर आ गया और अकेला पाकर उसने उसे बुरी नीयत से दवोच लिया और मुंह बन्द कर दिया और उसके कपड़े फाड़ डाले तथा उसके साथ मुंह काला किया। भेद खुलने पर परिवार सहित जान से मार डालने की धमकी देते हुए बोला कि साली तूने यह बात किसी से भी कही तो तेरे परिवार को राशन पानी नहीं दूंगा, तुम सबको मरवा दूंगा। उसने जबरन योजना के तहत करीब 20 दिन पहले राज कुमार पुत्र रामपाल के घर भिजवा दिया और गांव में सब लोगों से यह कहलवा दिया कि दोनों का प्रेम–प्रसंग है। उसने सब बातें राजकुमार के परिवार वालों को बतायी जिस पर वे लोग उसे घटना से करीब दस–बारह दिन बाद थाने लेकर गये लेकिन थाने पर उसकी एक नहीं सुनी गई।

4. दिनांक–29.07.2024 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट, पीलीभीत के तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त देव नरायन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में विरचित किये गयें। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार कर, विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा, इस मामले के अभियुक्त देव नरायन के विरूद्ध, आरोप व अपने कथानक को साबित करने के लिए **मौखिक साक्ष्य** के रूप में:–

पी0डब्लू0–1 इस मामले की वादिनी मुकदमा/पीड़िता है, जिसने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर दिनांकित–29.05.2007 को **प्रदर्श क**–1, के रूप में साबित किया है,

पी0डब्लू0–2 राधेश्याम, जो वादिनी मुकदमा/पीड़िता का भाई है,

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में:–

प्रदर्श क–1 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर दिनांकित–29.05.2007, वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा साबित, जिसमें घटना का दिनांक, दिनांक–29.05.2007 से 20–22 दिन पहले व समय सायं 8:00 बजे बताया गया है,

वस्तु प्रदर्श कोई नहीं।

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–351

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–05.06.2026 को अंकित किया गया, जिसमे अभियुक्त ने अभियोजन कथानक गलत होने, गलत आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल करने, **पी0डब्लू0**–1 एवं **पी0डब्लू0**–2, की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना कहा तथा अभियुक्त के द्वारा यह भी कथन किया गया कि मुकदमा झूठा चला, वह निर्दोष है।

अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार किया गया है।

8. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली–भॉति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दौरान बहस कहा गया है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार/मुंह काला किया तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा तत्कालीन विद्वान विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर **प्रदर्श क**–1, प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत पर वर्तमान अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तथ्य की एक मात्र साक्षी **पी0डब्लू0**–1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता, के साक्ष्य से मामला अभियुक्त के विरूद्ध साबित है। यह मामला अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उपलब्ध दस्तावेज से पूर्णतया सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे, साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा घटना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किये जाने के दिनांक– 29.05.2007 से 20–22 दिन पूर्व की बतायी है जबकि प्राथमिकी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, से दिनांक–14.09.2007 को अत्यन्त विलम्ब से दर्ज करायी गयी थी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना झूठी पाये जाने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तत्कालीन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी मुकदमा के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर में किये गये कथन, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के

साक्षीगण वादिनी मुकदमा/पीड़िता/**पी0डब्लू0**–1 एवं **पी0डब्लू0**–2 राधेश्याम के द्वारा किये गये कथनों से पूर्णतया अविश्वसनीय हैं। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कथित घटना कारित की गई अथवा नहीं। वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में अपना कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। पीड़िता ने लोगों के उकसावे में आकर अभियुक्त के विरूद्ध यह मामला अत्याधिक विलम्ब से दर्ज कराया गया है। आरोपित अपराध में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं है, वह निर्दोष है। साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जा कर, उसके विरूद्ध लगे आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाये।

निष्कर्ष

11. इस मामले में अब न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि:–

क्या अभियुक्त देव नरायन द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया गया तथा गन्दी गालियां दे कर जान से मारने की धमकी दी गई ?

12. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक व उपरोक्त निर्णायक बिन्दु के सापेक्ष **पी0डब्लू0**–1 के रूप में वादिनी मुकदमा/पीड़िता, को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना लगभग उन्नीस–बीस वर्ष पूर्व की है। उसका गांव के राज कुमार से प्रेम–प्रसंग था और वह बतौर राज कुमार की पत्नी के रूप में रहती थी। राज कुमार के पिता रामपाल उसके साथ राज कुमार की शादी करना नहीं चाहते थे। उसके ही गांव के कोटेदार देव नरायन ने उसकी शादी के लिए राज कुमार के पिता पर दबाव डाला तब उनके दबाव में उसकी शादी राज कुमार के साथ करा दी थी। इसी बात को लेकर उसके ससुर रामपाल व ताऊ नत्थूलाल, कोटेदार देव नरायन से रंजिश मानने लगे और उसके पति व उस पर यह दबाव डाला कि यदि उसने कोटेदार देव नरायन के ऊपर उनके कहे अनुसार मुकदमा नहीं लिखाया तो वह उसे घर में नहीं रहने देंगे। उसे लेकर कचहरी आये और वकील साहब से मिलकर प्रार्थना पत्र तैयार कराकर उसका निशानी अंगूठा लगवा लिया। उसने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता/तहरीर को **प्रदर्श क**–1 के रूप में साबित किया है। सच यह है कि उसके साथ कोटेदार देव नरायन ने उसके घर में घुस कर बलात्कार नहीं किया और न ही उसे जान से मारने की धमकी दी और न ही गाली–गलौच की। अभियोजन की प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने विवेचक को दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से

इनकार किया है और यह भी कथन किया है कि उसके मजिस्ट्रेट साहब के यहां बयान नहीं हुए थे। उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि यह बात सही है कि राज कुमार पुत्र रामपाल जो उसके गांव के ही रहने वाले हैं, उनसे उसका प्रेम–सम्बन्ध था। राज कुमार का उसके घर आना–जाना था। राज कुमार से उसके शारीरिक सम्बन्ध बन गये थे। यह बात सही है कि राज कुमार के पिता रामपाल व ताऊ नत्थूलाल ने राज कुमार की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया था। यह बात भी सही है कि कोटेदार देव नरायन, उसकी मां व भाई ने राज कुमार के घरवालों पर दबाव डालकर उसकी शादी राज कुमार से करवा दी थी। इसी वजह से राज कुमार के पिता व ताऊ कोटेदार देव नरायन से रंजिश मानने थे और उसपर दबाव डाला कि अगर राज कुमार के साथ रहना है तो देव नरायन के खिलाफ मुकदमा लिखाना होगा। यह बात भी सही है कि देव नरायन ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया और न ही गाली–गलौच और न जान से मारने की धमकी दी। यह बात भी सही है कि उसके ससुर ने उसपर दबाव डालकर देव नरायन के खिलाफ वकील के माध्यम से झूठा मुकदमा लिखाया था।

13. **पी0डब्लू0**–2 राधेश्याम जो वादिनी मुकदमा / पीड़िता का सगा भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना लगभग बीस वर्ष पूर्व की है। उसकी बहन की शादी देव नरायन के दबाव में राज कुमार से करा दी थी इसी बात से राज कुमार व उसके पिता नाराज रहने लगे। पहले राज कुमार ने उसकी बहन से प्रेम सम्बन्ध किया बाद में शादी से मुकर गये तब उसने व देव नरायन ने दबाव डालकर पीड़िता की शादी राज कुमार से करा दी। इसी बात की रंजिश मान कर राज कुमार ने उसकी बहन के ऊपर दबाब डालकर कचहरी में आकर वकील से मिलकर रिपोर्ट लिखा दी जबकि देव नरायन का कोई दोष नहीं है। देव नरायन ने घर में घुसकर बलात्कार नहीं किया और न ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन की प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस को वही बताया जो उसके अनुसार सत्य था।

बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इस साक्षी से जिरह नहीं की गई है।

14. इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य के 02 साक्षी वादिनी मुकदमा / पीड़िता **पी0डब्लू0**–1 एवं **पी0डब्लू0**–2 राधेश्याम, जो पीड़िता का सगा भाई है, को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। तथ्य के इन साक्षीगण ने अपनी

साक्ष्य में साफतौर पर एवं एक स्वर में कहा है कि अभियुक्त देव नरायन ने वादिनी/पीड़िता के साथ घर में घुसकर बलात्कार नहीं किया, न ही गन्दी–गन्दी गालियां दी और न ही जान से मारने की धमकी दी। कथित घटना में अभियुक्त का कोई हाथ होना नहीं कहा गया है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने पति, ससुर व ताऊ के दबाव में आकर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। इस प्रकरण में तथ्य के साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और इन साक्षीगण से अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई बल/लाभ मिलता हो।

15. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से इस न्यायालय की राय, में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के जो आरोप लगाये गये हैं, अभियुक्त के विरूद्ध इन आरोपों को अभियोजन पक्ष पूरी तरह से सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अर्थात् अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया हो।

"अभियोजन पक्ष को अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करना होता है।" 'केवल संदेह के आधार पर, विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती'।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **बाबूराम इत्यादि बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2008 (2) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 727** में सम्मानित विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि "दाण्डिक परीक्षण के वाद में अभियोजन के द्वारा अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है। यदि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जायेगा। "

17. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'एम0एस0 रॉय बनाम बंगाल राज्य' (2003)12 एस0सी0सी0 337** के मामले में अवधारित कर कहा गया है। इसके अलावा **'बिशनदास बनाम पंजाब राज्य' ए0आई0आर0 1975 एस0सी0 573** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कर कहा गया है कि "Prosecution must prove its case. Even silence of accused is of no consequence."

18. इस प्रकार, इस मामले में अभियोजन पक्ष इस प्रकरण के मुख्य निर्णायक बिन्दु किः–

क्या अभियुक्त देव नरायन द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के घर में घुसकर उसके

साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया तथा गन्दी गालियां दे कर जान से मारने की धमकी दी गई ?, को अपने पक्ष में, व इस मामले के अभियुक्त के विरूद्ध सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

19. परिणामतः इस प्रकरण में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त देव नरायन पुत्र विजय पाल को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, से विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

20. इस प्रकरण में, वादिनी मुकदमा / पीड़िता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता / तहरीर **प्रदर्श क**–1, में वर्णित अपराध सम्बन्धी कथन के सापेक्ष, न्यायालय में अपनी साक्ष्य में उक्त कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा करके वादिनी मुकदमा / पीड़िता ने इस न्यायालय की राय में, न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर, मिथ्या साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में **पी0डब्लू0**–1, वादिनी मुकदमा / पीड़िता पत्नी राज कुमार, पुत्री कुंदनलाल, निवासी ग्राम–गौहनिया, थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा–344** दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान में धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), की कार्यवाही संस्थित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्त देव नरायन पुत्र विजय पाल, निवासी ग्राम–गौहनिया, थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत को, बाबत मुकदमा अपराध संख्या–807 / 2007, थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत के मामले में, आरोपित आरोप, अंतर्गत धारा–452, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है तथा वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त के मूल व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतियों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त के द्वारा अन्तर्गत **धारा–437–ए** दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान में धारा–481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), के प्रावधान के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जो निर्णय के दिनांक से 06 माह तक अस्तित्व में रहेंगें।

इस मामले से सम्बन्धित वस्तु यदि कोई हो, वह इस मामले में अपील की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् अथवा उसके निस्तारण के बाद ही नियमानुसार निस्तारित हों।

पी0डब्लू0–1, वादिनी मुकदमा / पीड़िता पत्नी राज कुमार, पुत्री कुंदनलाल, निवासी ग्राम–गौहनिया, थाना–बिलसण्डा, जिला–पीलीभीत के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा–344** दण्ड प्रकिया संहिता (वर्तमान में धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), की कार्यवाही अविलम्ब संस्थित की जाये।

दिनांकः 18.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 18.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत